न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०–एम० पी० 73/2018 धारा–145 द०प्र०सं०

अशोक कुमार चटर्जी वगैरह.....प्रथम पक्ष

बनाम

सुनील चटर्जी वगैरह.....द्वितीय पक्ष

आदेश

06.10.2020

प्रस्तुत वाद आवेदक के द्वारा आवेदन दिया गया है कि विवादित जमीन को लेकर उभय पक्ष में दखल–कब्जा को लेकर शांति भंग होने की संभांवना को देखते हुए विवादित भूमि पर द० प्र० सं० की धारा–145 के तहत द्वितीय पक्षों के विरूद्व कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु अनुरोध किया गया।

उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

विवादित भूमि विवरणी

मौजा–राहे, थाना–सोनाहातु ,

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
163,178	77,78	28 3/4 डी०	उ0–वैद्यनाथ चटर्जी द0–द्वितीय पक्ष पू0–रास्ता प0–रास्ता

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपने जबाब में निम्न उल्लेख किये है:–

1. यह है कि वर्णित भूमि मौजा–राहे, थाना–सोनाहातु, थाना संख्या–81, खाता संख्या–163 एवं 178, प्लॉट संख्या–77, 78 रकवा–28 3/4 डी0 से संबंधित है, जो एक दुसरे से सटा हुआ है।

2. यह है कि उपरोक्त जमीन उभय पक्ष के पूर्वज केशव चन्द्र चअर्जी का खरीदगी संपति है। वंशावली निम्न प्रकार है:– केशव चन्द्र चटर्जी के पुत्र पंचानन चटर्जी वो बैद्यनाथ चटर्जी वो सदानंद चटर्जी वो उपानंद चटर्जी हुए। पंचानन चटर्जी की पत्नी वीणा देवी वो उषा दवी हुई। वीणा देवी के पुत्र दु:ख निवारण चटर्जी हुए एवं दु:ख निवारण चटर्जी के पुत्र सुनील चटर्जी वो सुशील चटर्जी हुए। जो इस वाद में द्वितीय पक्षकार है। उषा देवी के पुत्र शांमि कुमार देवशर्मा चटर्जी वो अशोक कुमार चटर्जी वो गौतम कुमार चटर्जी वो सुकदेव चटर्जी हुए। इस वाद में अशोक कुमार चटर्जी वो गौतम कुमार चटर्जी प्रथम पक्षकार है।

2. यह है कि उपरोक्त जमीन का आपसी बंटवारा पूर्व मे वर्ष 1968–69 में उपरोक्त वंशज के पितागण के बीच हो चुका है। उसके आधार पर उभय पक्ष के पिता संतुष्ट थे। उसके बाद पु:न वंशानुसार पुत्रगण के बीच वर्ष 1993 ई0 को पंचायती बंटवारा हो चुका है।बंटवारे के आधार पर उभय पक्ष अपना–अपना हिस्से पर शांति पूर्वक दखलकार चले आ रहे है।

3. यह है कि विवादित जायदाद प्रथम पक्ष की हिस्से की जमीन है। जिसमें प्रथम पक्ष चहारदिवारी कर लोहे का दरवाजा लगा चुके है एवं दखली जमीन पर किमती वृक्ष लगा चुके है। जिसको द्वितीय पक्ष ताकत के बल पर काट लिए है एवं दरवाजा का ताला तोड़कर दुसरा ताला लगाया गया है।

06.10.2020

5. यह है कि विवादित जमीन को लेकर प्रथम पक्षगण ने ग्राम पंचायत राहे के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य को लिखित सूचना दिये। ग्राम पंचायत राहे द्वारा द्वितीय पक्ष को नाटिस किया गया परन्तु द्वितीय पक्ष नोटिस लेने से इंकार किया।

6. यह है कि प्रथम पक्षगण द्वारा विवादित जमीन का किमती पेड़ करने के संबंध में अंचल कार्यालय राहे में आवेदन दिया गया। अंचल अधिकारी राहे के द्वारा नोटिस करने के बावजूद भी द्वितीय पक्ष उपस्थित नहीं हुए। द्वितीय पक्ष के हाथों शांति भंग होने की घोर संभावना बनी हुई है।

7. यह है कि पूर्व में भी पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर द0 प्र0 सं0 की धारा–144 के तहत मुकदमा चला था, जिसका वाद संख्या–एम. 13/2018 है। जिसमें उभय पक्षों को बंटवारा हेतु सक्षम न्यायालय जाने का आदेश पारित किया गया है। जबकि उभय पक्षों के बीच पंच बंटवारे के आधार पर ऊपर वर्णित चारो भाईयों का विवादित जमीन पर दखल–कब्जा सन् 1993 से चला आ रहा है। परन्तु शांति कुमार देवशर्मा वृद्ध हो चुके है तथा सुकदेव चटर्जी वर्त्तमान में बाहर रहते है।

8. यह है कि द्वितीय पक्ष के पिता दुःख निवारण चटर्जी के जन्म के एक माह के अन्तर्गत उनकी माता वीणा देवी की मृत्यु हो चुकी थी। द्वितीय पक्ष के पिता का लालन–पालन का ख्याल कर पंचानन चटर्जी द्वारा दुसरा विवाह उषा देवी से किये तथा द्वितीय पिताजी का लालन पालन हुआ है।

9. यह है कि इस संबंध में एक अन्य मुकदमा भी न्यायालय कार्यपालक दण्डाधिकारी बुण्डू के न्यायालय में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–107 के अन्तर्गत चल रहा है, जो लंबित है। जिसका वाद संख्या–29/2018 है।

10. यह है कि विवादित जमीन को द्वितीय पक्ष जोरजबरजस्ती कब्जा करना चाहते है। प्रथम पक्ष विवादित भूमि पर दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–145 के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर प्रथम पक्ष बंटवारे की पुष्टि हेतु गवाही प्रस्तुत करना चाहते है ततपश्चात द्वितीय पक्ष को विवादित जमीन पर जाने से रोक लगाते हुए प्रथम पक्ष के हित में दखल–कब्जा घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

<u>द्वितीय पक्ष का पक्ष</u>

द्वितीय पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने पक्ष में निम्न बतलाया है :–

1. यह है कि द्वितीय पक्ष के पूर्वज केशव चन्द्र चटर्जी का खरीदगी संपति है एवं द्वितीय पक्ष केशव चन्द्र चटर्जी के वंशज है। वंशावली निम्न प्रकार है:– केशव चन्द्र चटर्जी के पुत्र पंचानन चटर्जी वो बैद्यनाथ चटर्जी वो सदानंद चटर्जी वो उपानंद चटर्जी हुए। पंचानन चटर्जी की पत्नी वीणा देवी वो उषा दवी हुई। वीणा देवी के पुत्र दुःख निवारण चटर्जी हुए एवं दुःख निवारण चटर्जी के पुत्र सुनील चटर्जी वो सुशील चटर्जी हुए। जो इस वाद में द्वितीय पक्षकार है। उषा देवी के पुत्र शांमि कुमार देवशर्मा चटर्जी वो अशोक कुमार चटर्जी वो गौतम कुमार चटर्जी वो सुकदेव चटर्जी हुए। इस वाद में अशोक कुमार चटर्जी वो गौतम कुमार चटर्जी प्रथम पक्षकार है।

2. यह है कि पंचानन चटर्जी के दो पत्नी वीणा देवी वो उषा दवी हुई। हिन्दु नियमानुसार पंचानन चटर्जी के दोनों पत्नीयों को बहिस्सा बराबर हिस्सा होगा। वीणा देवी के एक मात्र पुत्र दुःख निवारण चटर्जी हुए एवं दुःख निवारण चटर्जी के पुत्र सुनील चटर्जी वो सुशील चटर्जी हुए। जो इस वाद में द्वितीय पक्षकार है। उषा देवी के पुत्र शांमि कुमार देवशर्मा चटर्जी वो अशोक कुमार चटर्जी वो गौतम कुमार चटर्जी वो सुकदेव चटर्जी हुए। इस वाद में अशोक कुमार चटर्जी वो गौतम कुमार चटर्जी प्रथम पक्षकार है एवं उषा देवी के छः पुत्री संध्या वो बेला वो माधुरी वो हेना वो चम्पा वो जोबा हुई।

06.10.2020

3. यह है कि द्वितीय पक्ष विवादित जमीन रकवा–28.75 डी0 मध्ये 14.35 डी0 जमीन पर शांति पूर्वक दखलकार है एवं द्वितीय पक्ष का अपने हिस्से की जमीन पर आवासीय मकान है। जबकि प्रथम पक्ष के द्वारा $28\frac{3}{4}$ डी0 जमीन पर मुकदमा दायर किया गया है। जो चलने योग्य नहीं है।

4. यह है कि प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष के ऊपर जो भी आरोप लगाया गया है व सरासर गलत एवं बनावटी है। विवादित जमीन को लेकर प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को परेशान करने के नियत से मुकदमा दायर किया गया है। प्रथम पक्षगण विवादित जमीन पर कभी भी दखल में नहीं हैं विवादित जमीन पर द्वितीय पक्ष का शांति पूर्वक दखलकार चले आ रहे है। विवादित जमीन पर प्रथम पक्ष के हाथों ही दखल–कब्जा को लेकर शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है। उन्होने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–145 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करते हुए प्रथम पक्ष को विवादित जमीन पर जाने से रोक लगाते हुए द्वितीय पक्ष के हित में दखल–कब्जा घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

आदेशः–

उभय पक्ष के बहस को सुनने, दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित जमीन को दोनों ही पक्ष केशव चन्द्र चटर्जी के वंशजो के आधार पर दावा कर रहे है। प्रतीत होता है कि विवादित जमीन को लेकर उभय पक्ष में बँटवारा का विवाद है साथ ही प्रथम पक्ष के द्वारा विवादित जमीन में खातावार, प्लॉटवार रकवा नहीं दर्शाया गया है। जो दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–145 के तहत कार्यवाही प्रारंभकर आदेश पारित किया जाना संभव नहीं है। अतः वाद को निरस्त किया जाता है। उभय पक्ष बँटवारा हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है। इसी निरूपण के साथ वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

06/10

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बुण्डू।

06/10

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बुण्डू।